

15<sup>9</sup>/<sub>22</sub> पगावली पेडा हुमी । वादीमा व वहील  
वादीमा अनुपस्थित । बार-बार आवाज लगवानी  
गामी । आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादीमा  
की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया । अतः  
वादीमा का वाद फा अदम हाजरी अदम पैरवी  
में खारीज किया जाता है । पगावली फैसला  
शुमार होकर नम्बर से कर होकर दफ्तर दाखिल

है

२

(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)